राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 175, 176 व 177/2014...जिला–जयपुर.............

उनवान– मैसर्स खाटूश्याम एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्रीमति आशा कुमारी,सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी–द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण **अपील संख्या 1539, 1540 व 1541/2014/जयपुर मैसर्स खाटूश्याम एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर निर्णय दिनांक 09.09.2014** के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि तीन माह बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा व व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, बहस हेतु दिनांक 20.01.2015 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरणों में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलीय अधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक **09.09.2014** के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा **मय स्थगन पूर्व पारित आदेश दिनांक 09.09.2014 की शर्तानुसार** को इस आदेश प्राप्ति के आगामी दिनांक **31.03.2015** तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा दिनांक **31.03.2015** तक बढ़ायी जाती है । निर्णय प्रसारित किया गया । 21.1.15 (आशा कुमारी) सदस्य 21.1.2015 (मदन लाल) सदस्य	